267

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. बहादुरसिंह
2. बदनसिंह
3. परसराम

| पिसरान स्व0 रामभरोसी जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली

4. रामादेवी बेबा स्व0 रामभरोसी जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन
5. श्रीमती रामकली पुत्री रामभरोसी पत्नि महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी बेरखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली ———————————— वादीगण

बनाम

1. श्रीमती रामभूली उर्फ रम्भूली पुत्री स्व0 काड्या उर्फ कार्या बेबा किशनसिंह जातिजाट निवासी लालपुर तहसील नंदबई जिला भरतपुर
2. श्रीमती श्रवणीदेवी बेबा कजोडमल जाति जाट निवासी मौडी तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान
3. पूरनसिंह पुत्र स्व0 दीवानसिंह
4. जोगेन्द्रसिंह पुत्र स्व0दीवानसिंह

| जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन

5. रोहित
6. प्रीति
7. शिवानी
8. रितु

| पिसरान सतवीरसिंह समस्त जाति जाट निवासी महूखास नाबालिग जरिये संरक्षिका सीमादेवी बेबा सतवीरसिंह

9. सीमादेवी बेबा सतवीरसिंह जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली
10. श्रीमती सोमोती बेबा दीवान जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन– मृतक
11. रेवती पुत्र गूंगासिंह जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन – मृतक

11/1. विजेन्द्रसिंह उर्फ किशोर पुत्र रेवती जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन

11/2. सुआदेवी बेबा स्व0रेवती जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन

11/3. मु0 हेमा पुत्री रेवती पत्नि नरेन्द्र जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन हाल निवासी श्यारौली तहसील बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर

12. नवाब पुत्र बेगन्ना जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन – मृतक

12/1. सुमेरसिंह
12/2. जीतू

| पिसरान नबाब जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

12/3. मु0 रामप्यारी देवी बेबा नबाब जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन

12/4. मु0 सुनीता देवी पुत्री नबाब पत्नि उदयसिंह जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन हाल निवासी सलेमपुर कला तहसील भुसावर जिला भरतपुर

12/5. मु0 भूरी देवी पुत्री नबाब पत्नि दरबसिंह जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन हाल निवासी सलेमपुर कला तहसील भुसावर जिला भरतपुर

13. नीरसिंह पुत्र बेगन्ना जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली

14. विशम्भर पुत्र बेगन्ना जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन – मृतक

15. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

16. तेजसिंह पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली

17. सब रजिस्ट्रार हिण्डौन सिटी जिला करौली ——————————प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, व स्थायी निषेधाज्ञा **मुकदमा नं0 10/2015**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री देवीसिंह गुर्जर एवं श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 0.28 है0, 93 रकबा 0.60 है0, 95 रकबा 0.32 है0, 122 रकबा 0.07 है0, 369 रकबा 0.10 है0, 408 रकबा 0.12 है0, 664 रकबा 0.11 है0, 666 रकबा 0.09 है0, 667 रकबा 0.34 है0, 671 रकबा 0.19 है0, 672 रकबा 0.20 है0, 680 रकबा 0.12 है0, 706 रकबा 0.10 है0, 744 रकबा 0.13 है0, 804 रकबा 0.08 है0, 805 रकबा 0.08 है0, 835 रकबा 0.06 है0, 870 रकबा 0.17 है0, 884 रकबा 0.56 है0, 885 रकबा 0.56 है0, 898 रकबा 0.45 है0, 1111 रकबा 0.32 है0 कुल किता 22 कुल रकबा 5.05 है0 तथा खसरा नम्बर 98 रकबा 0.32 है0, 99 रकबा 0.30 है0, तथा खसरा नम्बर 297 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 444 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 469 रकवा 0.10 है0, खसरा नम्बर 740 रकवा 0.05 है0, खसरा नम्बर 893 रकवा 0.26 है0 तथा खसरा नम्बर 92 रकवा 0.77 है0, खसरा नम्बर 94 रकवा 0.75 है0, खसरा नम्बर 95/1253 रकवा 0.32 है0, खसरा नम्बर 96 रकवा 29 है0, खसरा नम्बर 100 रकवा 0.20 है0, खसरा नम्बर 101 रकवा 0.11 है0 कुल किता 6 कुल रकवा 2.44 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.08.2025 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 29/8/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली (करौली)

269

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 10/2015 तारीख रजू:– 03.02.2015

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. बहादुरसिंह
2. बदनसिंह
3. परसराम

पिसरान स्व0 रामभरोसी जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली

4. रामादेवी बेबा स्व0 रामभरोसी जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन
5. श्रीमती रामकली पुत्री रामभरोसी पत्नि महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी बेरखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली ——— वादीगण

बनाम

1. श्रीमती रामभूली उर्फ रम्भूली पुत्री स्व0 काड्या उर्फ कार्या बेबा किशनसिंह जातिजाट निवासी लालपुर तहसील नंदबई जिला भरतपुर
2. श्रीमती श्रवणीदेवी बेबा कजोडमल जाति जाट निवासी मौडी तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान
3. पूरनसिंह पुत्र स्व0 दीवानसिंह
4. जोगेन्द्रसिंह पुत्र स्व0दीवानसिंह

जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन

5. रोहित
6. प्रीति
7. शिवानी
8. रितु

पिसरान सतवीरसिंह समस्त जाति जाट निवासी महूखास नाबालिग जरिये संरक्षिका सीमादेवी बेबा सतवीरसिंह

9. सीमादेवी बेबा सतवीरसिंह जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली
10. श्रीमती सोमोती बेबा दीवान जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन– मृतक
11. रेवती पुत्र गूंगासिंह जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन – मृतक

11/1. विजेन्द्रसिंह उर्फ किशोर पुत्र रेवती जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन

11/2. सुआदेवी बेबा स्व0रेवती जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन

11/3. मु0 हेमा पुत्री रेवती पत्नि नरेन्द्र जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन हाल निवासी श्यारौली तहसील बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर

12. नवाब पुत्र बेगन्ना जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन – मृतक

12/1. सुमेरसिंह
12/2. जीतू

पिसरान नबाब जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

12/3. मु0 रामप्यारी देवी बेबा नबाब जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन

12/4. मु0 सुनीता देवी पुत्री नबाब पत्नि उदयसिंह जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन हाल निवासी सलेमपुर कला तहसील भुसावर जिला भरतपुर

12/5. मु0 भूरी देवी पुत्री नबाब पत्नि दरबसिंह जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन हाल निवासी सलेमपुर कला तहसील भुसावर जिला भरतपुर

13. नीरसिंह पुत्र बेगन्ना जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली

14. विशम्भर पुत्र बेगन्ना जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन – मृतक

15. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

16. तेजसिंह पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन जिला करौली

17. सब रजिस्ट्रार हिण्डौन सिटी जिला करौली ——————————प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1.श्री देवीसिंह गुर्जर एवं श्री पी.एल.गोयल एडवोकेट वादीगण

2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट प्रतिवादी सं0 3,4,5,9,11,12,13,16

निर्णय

दिनांक :– 29.08.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 0.28 है0, 93 रकबा 0.60 है0, 95 रकबा 0.32 है0, 122 रकबा 0.07 है0, 369 रकबा 0.10 है0, 408 रकबा 0.12 है0, 664 रकबा 0.11 है0, 666 रकबा 0.09 है0, 667 रकबा 0.34 है0, 671 रकबा 0.19 है0, 672 रकबा 0.20 है0, 680 रकबा 0.12 है0, 706 रकबा 0.10 है0, 744 रकबा 0.13 है0, 804 रकबा 0.08 है0, 805 रकबा 0.08 है0, 835 रकबा 0.06 है0, 870 रकबा 0.17 है0, 884 रकबा 0.56 है0, 885 रकबा 0.56 है0, 898 रकबा 0.45 है0, 1111 रकबा 0.32 है0 कुल किता 22 कुल रकबा 5.05 है0 स्थित ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन है। जिसमें वादीगण हिस्सा 1/4, प्रतिवादी नम्बर 03 ता 10 हिस्सा 1/8, प्रतिवादी नम्बर 11 हिस्सा 1/8, प्रतिवादी नम्बर 12 ता 14 हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी संख्या 01 हिस्सा 1/4, साबिक हाल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 खतौनी संख्या 21 में दर्ज है, जिनको बंदोवस्त विभाग के कर्मचारी व अधिकारीगण ने पुराने खसरा नम्बर 39 रकवा 3 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 39 मिन, खसरा नम्बर 41 रकवा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 54 मिन रकवा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 275 रकवा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 309/2 रकवा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 558 रकवा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 574 रकवा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 560 रकवा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 561 रकवा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 138/7 मिन रकवा 2 बीघा, खसरा नम्बर 565 रकवा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 566 रकवा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 600, खसरा नम्बर 576

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रकवा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 602 रकवा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 631 रकवा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 629 रकवा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 675/1 रकवा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 736 रकवा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 629 रकवा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 675/1 रकवा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 736 रकवा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 749 मिन रकवा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 749 मिन, खसरा नम्बर 763 रकवा 1 बीघा 15 बिस्वा से बनाये गये हैं, जो ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में स्थित हैं।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 98 रकवा 32 ऐयर, खसरा नम्बर 99 रकवा 30 ऐयर व समूल अन्य आराजीयात ग्राम महूखास, तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिनके इन्द्राज खतौनी संख्या 21 संवत् 2070 से 2073 में दर्ज है। जिनको बंदोवस्त विभाग के अधिकारी व कर्मचारीगण ने पुराने खसरा नम्बर 42/1 मिन, खसरा नम्बर 40/1 रकवा 1 बीघा 9 बिस्वा भूमि से बनाये हैं, जो महूखास तहसील हिण्डौन में स्थित हैं।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 297 रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 444 रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 469 रकवा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 740 रकवा 5 ऐयर, खसरा नम्बर 893 रकवा 26 ऐयर, कुल किता 5 कुल रकवा 59 ऐयर, ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में स्थित हैं, जो भूमि खतौनी संख्या 22 संवत् 2070 से 2073 में प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम दर्ज हैं, जिनको बंदोवस्त कर्मचारी व अधिकारीगण ने पुराने खसरा नम्बर 211 रकवा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 369 रकवा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 389 रकवा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 682/2 रकवा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 755 रकवा 17 बिस्वा से बनाया है, जो भूमि ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसके इन्द्राजात जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 में मृतक कार्या के नाम दर्ज है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 92 रकवा 0.77 ऐयर, खसरा नम्बर 94 रकवा 0.75 ऐयर, खसरा नम्बर 95/1253 रकवा 0.32 ऐयर, खसरा नम्बर 96 रकवा 29 ऐयर, खसरा नम्बर 100 रकवा 0.20 ऐयर, खसरा नम्बर 101 रकवा 11 ऐयर कुल किता 6 कुल रकवा 2.44 है0 भूमि ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिनको बंदोवस्त विभाग के कर्मचारीगण व अधिकारीगण ने पुराने खसरा नम्बर 37/2 मिन रकवा 4 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 402 रकवा 3 बीघा, खसरा नम्बर 46/1 मिन, खसरा नम्बर 46/2 मिन रकवा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 45/1 मिन, खसरा नम्बर 47/1 से बनाया है, जो भूमि ग्राम महूखास, तहसील हिण्डौन में स्थित है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 01 व 03 ता 14 का सजरा– ए–खानदान निम्न प्रकार हैः–

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

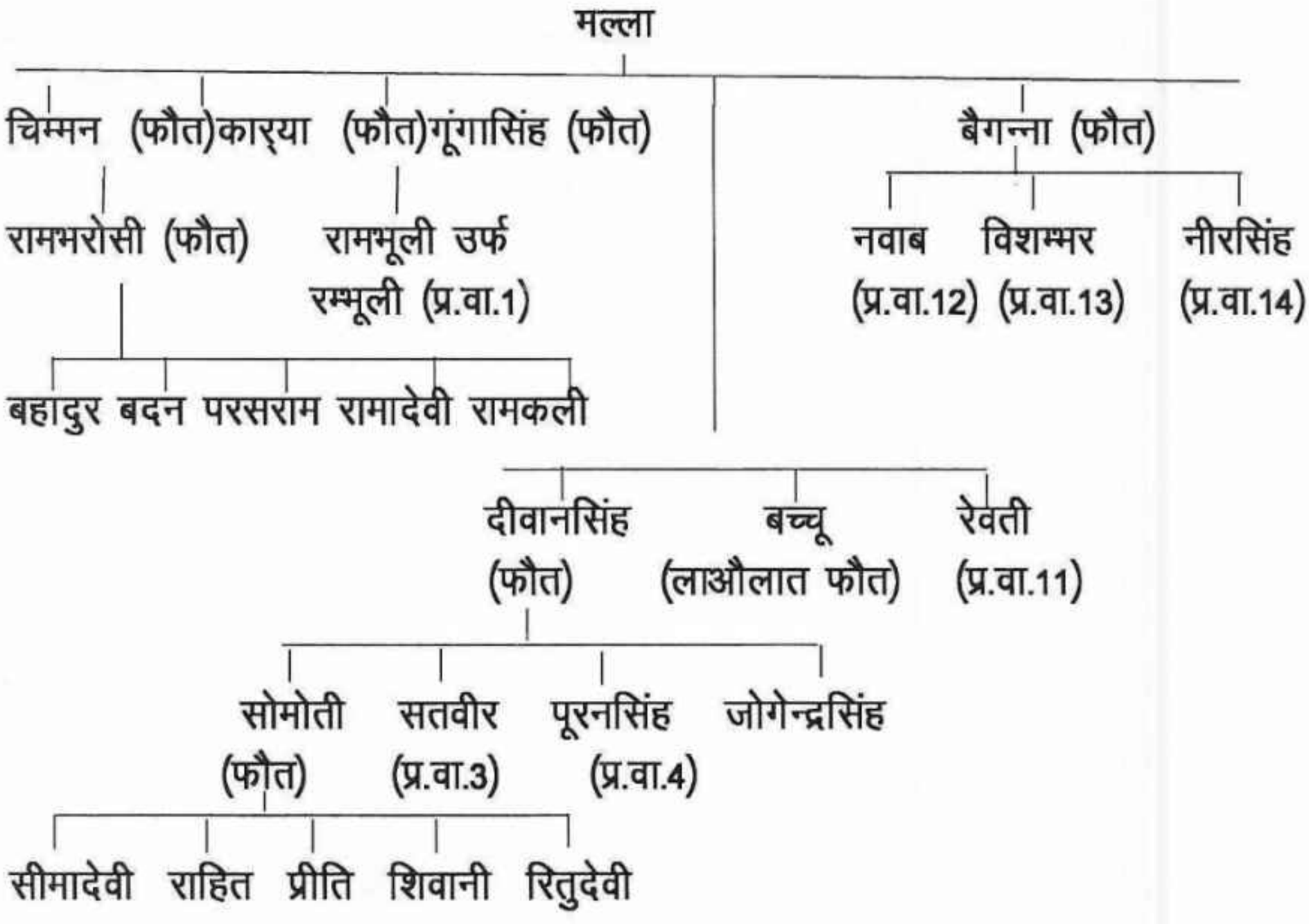

वाद पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 01, 02 ,03 व 04 वाद पत्र वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 03 ता 14 के संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमियां हैं, जो उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई हैं। वादीगण के बाबा चिम्मन पुत्र मल्ला के फौत होने के 3 माह बाद वादीगण के पिता रामभरोसी का जन्म हुआ था, जिसका पालन–पोषण उनके खास चाचा कार्या उर्फ काड्या पुत्र मल्ला ने किया था, जो प्रतिवादीगण के पिताजीका कर्ता खानदान रहा था और वादीगण के पिताजी का स्वर्गवास दिनांक 11.02. 1996 के बाद वादीगण का भी कर्ता खानदान रहा है। वादीगण के बाबा के फौत होने के बाद दादी चमेली, चाचा कार्या के नाते बैठ गयी, जिसके बिन्द से प्रतिवादिया नम्बर 01 पैदा हुई, जिसकी शादी वादीगण के पिताजी कार्या ने किशनसिंह जाट, निवासी लालपुर, तहसील नदबई के साथ करीब 55 साल पूर्व कर दी थी। उसी समय से प्रतिवादी नम्बर 01 ग्राम लालपुर में अपने पति के साथ रहती रही है, प्रतिवादिया नम्बर 01 के पति के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादिया नम्बर 01 ने बदयान्तिपूर्वक वादीगण के कर्ता खानदान कार्या उर्फ काड्या की खातेदारी की भूमियों की विरासत अपने नाम राजस्व कर्मचारियों से साज कर नामांतकरण संख्या 503 दिनांक 12.07.2014 को खुलवा लिया, जिसका अमलदरामद जमाबंदी आदि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादिया नम्बर 01 के नाम दर्ज हो गया। चूंकि वादी संख्या 01 ता 03 बाहर सर्विस करते रहे हैं, जिनको प्रतिवादिया नम्बर 01 के नाम दर्ज खातेदारी की जानकारी नहीं हो सकी। वादिया संख्या 05 अपनी ससुराल में रहती है, वादीगण के पिताजी रामभरोसी व कार्या उर्फ काड्या का संयुक्त परिवार रहा है। वादीगण के पिताजी सीधेसादे, अनपढ़, आदमी थे, जिनको अपने चाचा पर विश्वास व भरोसा होने से राजस्व रिकॉर्ड में अपने हिस्से की

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जानकारी नहीं की और वादीगण के पिताजी के चाचा पटेल थे, जिन्होंने वादीगण के चाचा चिम्मन के हिस्से की भूमियों की खातेदारी भी अपने नाम करा ली, लेकिन वादीगण के पिताजी स्वयं के हिस्से व उसके चाचा के हिस्से व उसके चाचा की भूमियों को संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करता रहा था, उसके फौत होने के बाद वादीगण भी सम्पूर्ण भूमियों को काबिज होकर वहैसियत मालिक व स्वामी फसल दर फसल काश्त करते रहे हैं। इस प्रकार से वादीगण भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 03 वाद पत्र में कानूनन 1/2 हिस्से के एवं भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 02 वाद पत्र में 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार करार पाते हैं तथा वादीगण के पिताजी के नाम भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 01 व 04 वाद पत्र में 1/4 हिस्से की खातेदारी दर्ज हो रही है। खातेदार बच्चूसिंह पुत्र गूंगा करीब 21 साल पहले लाऔलाद फौत हो गया, जिसके नजदीकी वारिस प्रतिवादी नम्बर 03 ता 11 होने से उसके हिस्से की खातेदारी उनके नाम दर्ज हो गयी तथा सफेदी बेवा गूंगा करीब 9 साल पूर्व फौत हो चुकी है, जिसके नजदीकी वारिसान प्रतिवादी नम्बर 03 ता 11 हैं तथा खातेदारर दीवानसिंह फौत हो चुका है, जिसकी नजदीकी वारिस प्रतिवादी नम्बर 04 ता 10 हैं और खातेदार सतवीर फौत हो चुका है, जिसकी नजदीकी वारिस प्रतिवादी नम्बर 05 ता 09 होने से कायम मुकाम वारिसान हैं, जो उसके तर्के पर काबिज व दखील हैं।

वाद पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी नम्बर 01 अपनी ससुराल में रहती रही है, प्रतिवादिया नम्बर 01 के पिताजी कार्या अत्यंत वृद्ध हो गये तो उनकी खानेपीने व रहन–सहन की सेवा प्रतिवादीगण के पिताजी ने ही की थी, तो प्रतिवादी नम्बर 01 के पिताजी कार्या ने अपनी स्वअर्जित भूमि में से वादीगण के पिताजी रामभरोसी को उनके जीवनकाल में उसकी चल–अचल सम्पत्तियों की एक वसीयत दिनांक 26.06.1981 को कर दी गई। जिसकी लिखापढ़ी 50–50 पैसे के दो नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प, स्टाम्प वेण्डर से निकलवाकर केदारलाल जिन्दल डीडराईटर तहसील हिण्डौन से ड्राफ्ट करवाकर केदारलाल डीडराईटर तहसील हिण्डौन ने कार्या के निर्देशन पर टाईप करवा दी और उस वसीयत पर कार्या स्वयं ने सुन व समझकर अपनी निशानी अंगुस्त वसीयतनामा पर कर दी और गवाहान हरवान जाट व किशनलाल जाट, निवासी महूखास ने अपने हस्ताक्षर सिब्त कर दिये तथा केदारलाल जिन्दल डीडराईटर तहसील हिण्डौन ने उक्त वसीयत पर अपने हस्ताक्षर कर दिये तथा अपनी सील लगाकर कार्या के हवाले कर दिया तथा कार्या ने उक्त वसीयत को रामभरोसी के हवाले कर दिया। प्रतिवादिया नम्बर 01 के पिताजी ने वादीगण के पिताजी के हक में उसके हिस्से 1/4 व सम्पूर्ण खातेदारी पुराने भूमि खसरा नम्बर 1/9, 2/9, 18, 37/1, 40/1, 40/2, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45/1, 45/2, 46,/1, 47/1, 54, 138/7, 194, 211, 274, 275, 309/2, 369, 386, 552, 558, 560, 561, 565, 566, 474, 575/1, 576, 600, 602, 628/1, 628/2, 631, 659, 675/1, 675/2, 699/2, 736, 749,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

755, 791, 880, 890 वाके ग्राम महूखास की अचल सम्पत्ति एवं नगदी, जेवर सोना–चांदी आदि की वसीयत कर दी, उक्त वसीयत को वादीगण के पिताजी रामभरोसी पुत्र चिम्मन जाति जाट, निवासी महूखास, तहसील हिण्डौन के हवाले कर दिया। जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं थी और वसीयत को वादीगण के पिताजी ने अपने पास रख लिया। उक्त वसीयत को वादीगण की माताजी कहीं रखकर भूल गयी। वादीगण ने उनकी मां के पास रखे कागजातों को दिनांक 07.01.2015 को देखने को मांगा, तब उन कागजों में वसीयतनामा निकल आया तो वादीगण ने उक्त वसीयत को पटवारी हल्का को दे दिया और अपने नाम खातेदारी कराने को कहा तो पटवारी हल्का ने खातेदारी करने से मना कर दिया। वादीगण के पिताजी के हक में की गई उक्त वसीयत प्रथम वसीयत है, वादीगण के पिताजी के चाचा द्वारा अन्य कोई वसीयत या अन्य कोई प्रलेख किसी अन्य व्यक्ति के हक में नहीं लिखी है, वादीगण के पिताजी उसके चाचा के द्वारा की गई वसीयत की समस्त खातेदारी की भूमियों के हिस्सों तथा सम्पूर्ण भूमियों को काबिज होकर काश्त करते रहे हैं तथा फसल दर फसल मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं, वादीगण के पिताजी के फौत होने के बाद वादीगण उक्त भूमियों को फसल दर फसल मौके पर काबिज होकर काश्त करते रहे हैं, वादीगण के पिता के चाचा दिनांक 04.12.1998 को फौत हो चुके हैं और वसीयतनामा के आधार पर वादीगण विवादित भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 01, 02 व 04 में वर्णित आराजीयात में मृतक कार्या के 1/4 हिस्सा व मुतजिक्रा मद नम्बर 03 में वर्णित भूमि की खातेदारी का कानूनन करार पाते हैं तथा लम्बे समय से विवादित भूमियां वादीगण के कब्जेकाश्त के आधार पर धारा 63 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत कानूनन वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम समस्त राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी आदि को नल एण्ड वोइड घोषित किया जावे।

वाद पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रतिवादिया संख्या 01 के नाम मृतक कार्या के हिस्से की भूमि की खातेदारी दर्ज होने से भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 03 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का विक्रय पत्र प्रतिवादिया संख्या 02 के हक में 5 लाख रुपया की स्टाम्प ड्यूटी लगाकर उप पंजीयक कार्यालय हिण्डौन में दिनांक 17.09.2014 को तहरीर तकमील कराकर पंजीबद्ध करा दिया है, जिस विक्रय पत्र की मालियत 6,31,300/–रुपया उप पंजीयन अधिकारी हिण्डौन ने मानकर राशि जमा होने पर पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 337 में पृष्ठ संख्या 78 क्रम संख्या 2014002975 पर पंजीबद्ध किया गया और अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 व जिल्द संख्या 980 के पृष्ठ संख्या 174 से 182 पर चस्पा कर निष्पादन कर दिया है, जो विक्रय पत्र शुरू से ही नल एण्ड वोइड एवं प्रभावहीन घोषित किये जाने योग्य है तथा उक्त विक्रय पत्र बेनामी व बिना कब्जा, बिना बदल प्रतिवादी संख्या 01 तथा बिना प्रतिफल के होने से भी अवैध घोषित किया जावे और इस बेनामी विक्रय पत्र के आधार से प्रतिवादी संख्या 02

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अपने नाम नामांतकरण नहीं खुलवाने के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वाद पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रतिवादिया संख्या 01 ने प्रतिवादिया संख्या 02 को दिनांक 17.09.2014 को कराये गये विक्रय पत्र की जानकारी वादीगण को नहीं होने दी है, प्रतिवादिया संख्या 01 ने वादीगण के पीछे से उक्त फर्जीवाडे से विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 02 के हक में कराया है, जिसके आधार से प्रतिवादिया नम्बर 02 अपने नाम नामांतकरण खुलवाने पर उतारू है और विक्रित भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 03 वाद पत्र को फर्जीवाडे से किये गये विक्रय पत्र के आधार से विक्रित भूमि को किसी लठैत व्यक्ति को विक्रय कर वादीगण के कब्जेकाश्त से बेदखल करने व रहनवय करने की धमकी दे रही है, जिससे वादीगण के अधिकारों पर भारी कुठाराघात होगा और वादीगण बरबाद हो जावेंगे।

वाद पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि वादीगण दिनांक 05.01.2015 को अपने खेतों की फसल की देखभाल कर रहे थे तो प्रतिवादिया संख्या 01 व 02 अपने साथ 7 आदमियों को लेकर आयीं और वादीगण को ऐलानिया कहने लगी कि भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 03 में वर्णित आराजीयात में फसल गेहूं व सरसों से निकल जाओ तो वादीगण ने हाथ जोड़कर कहा कि ये फसलें हमने काश्त की है, तो प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 नाराज हो गयीं और उनके साथ आये हमराही वादीगण से गाली–गलौंज करने लग गये और वादीगण को ऐलानिया धमकी देने लगे कि इस विवादित भूमि की खातेदारी हमारे नाम है और किसी लठैत व्यक्ति को रहनवय कर देंगे और तुम्हें जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल कर देंगे तो पड़ौस के खेतों वालों ने प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 एवं उनके साथ वाले बडबडाते हुए चले गये और वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 01 ने ऐलानिया धमकी दी है कि भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 01, 02 व 04 में मेरे नाम खातेदारी दर्ज है, जिसको किसी भी लठैत व्यक्ति को रहनवय कर दूंगी। प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 की बेजा हरकत के लिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

वाद पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी नम्बर 03 ता 14 को सहखातेदार होने से एवं प्रतिवादी नम्बर 15 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार मुकदमा बनाया गया है।

वाद पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 05.01.2015 को प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 ने भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर01, 02 व 04 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात के हिस्से 1/3 व भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 03 वाद पत्र में से सम्पूर्ण हिस्से से जबरन बेदखल करने की धमकी देने से एवं किसी लठैत व्यक्ति को रहनवय करने की धमकी देने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है और दावा हाजा अंदर म्याद पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं012 (अ) में दर्ज किया है कि प्रतिवादी नम्बर 02 ने उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश तारीखी 05.10.2015 के अस्तित्व में रहते हुए तथा विवादित भूमि के सम्बंध में दावे में अपनी विफलता को देखते हुए प्रकरण में विचाराधीन भूमि को खुर्दबुर्द करने की गरज से न्यायालय के आदेश तारीखी 05.10.2015 की अवज्ञा करते हुए दिनांक 08.06.2022 को प्रतिवादी नम्बर 02 ने भूमि खसरा नम्बर 740 रकवा 5 ऐयर सम्पूर्ण को व खसरा नम्बर 469 रकवा 10 ऐयर में से 1/10 हिस्से को दीगर व्यक्ति तेजसिंह पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन को बिना कब्जे के विक्रय कर दिया और उक्त आशय का एक विक्रय पत्र लोकेन्द्र शर्मा डीडराईटर हिण्डौन से यह झूंठा व बनावटी व रिकॉर्ड के विरुद्ध तथ्य दर्ज कराते हुए कि उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है, तहरीर व तकमील कराकर उसे सब रजिस्ट्रार हिण्डौन के यहां दिनांक 08.06.2022 को ही पंजीकृत करा दिया, जबकि उक्त भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 02 का कोई कब्जा किसी प्रकार का नहीं है। उक्त वयनामा स्थगन आदेश के अस्तित्व में रहते हुए बिना कब्जे व प्रतिफल के केवलमात्र वादी के दावे को डिफीट करने की गरज से न्यायालय हाजा की बिना अनुमति के पंजीबद्ध कराया है जो धारा 52 ट्रांसफर प्रोपर्टी एक्ट से हिट होने के कारण शून्य व प्रभावहीन है, इसलिये उक्त वयनामा बमुकाबले वादीगण शून्य व प्रभावहीन घोषित फरमाया जावे तथा उक्त वयनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में किये गये समस्त परिवर्तन भी बमुकाबले वादीगण शून्य व प्रभावहीन घोषित कर निरस्त फरमाये जावें।

वाद पत्र के मद नं012 (ब) में दर्ज किया है कि प्रतिवादी नम्बर 02 ने उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश तारीखी 05.10.2015 के अस्तित्व में रहते हुए तथा विवादित भूमि के सम्बंध में दावे में अपनी विफलता को देखते हुए प्रकरण में विचाराधीन भूमि को खुर्दबुर्द करने की गरज से न्यायालय के आदेश तारीखी 05.10.2015 की अवज्ञा करते हुए दिनांक 08.06.2022 को प्रतिवादी नम्बर 02 ने भूमि खसरा नम्बर 740 रकवा 5 ऐयर सम्पूर्ण को व खसरा नम्बर 469 रकवा 10 ऐयर में से 1/10 हिस्से को दीगर व्यक्ति तेजसिंह पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन को बिना कब्जे के विक्रय कर दिया और उक्त आशय का एक विक्रय पत्र लोकेन्द्र शर्मा डीडराईटर हिण्डौन से यह झूंठा व बनावटी व रिकॉर्ड के विरुद्ध तथ्य दर्ज कराते हुए कि उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है, तहरीर व तकमील कराकर उसे सब रजिस्ट्रार हिण्डौन के यहां दिनांक 08.06.2022 को ही पंजीकृत करा दिया, जबकि उक्त भूमि पर प्रतिवादी नम्बर 02 का कोई कब्जा किसी प्रकार का नहीं है। उक्त वयनामा स्थगन आदेश के अस्तित्व में रहते हुए बिना कब्जे व प्रतिफल के केवलमात्र वादी के दावे को डिफीट करने की गरज से न्यायालय हाजा की बिना अनुमति के पंजीबद्ध कराया है जो धारा 52 ट्रांसफर प्रोपर्टी एक्ट से हिट होने के कारण शून्य व प्रभावहीन है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि विवादि भूमि कृषि भूमि होने से व अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में होने से दावा हाजा की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं015 (अ) में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 01 इस अम्र का डिक्री किया जावे कि भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 01 वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 90 रकवा 28 ऐयर, खसरा नम्बर 93 रकवा 60 ऐयर, खसरा नम्बर 95 रकवा 32 ऐयर, खसरा नम्बर 122 रकवा 7 ऐयर, खसरा नम्बर 369 रकवा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 408 रकवा 12 ऐयर, खसरा नम्बर 664 रकवा 11 ऐयर, खसरा नम्बर 666 रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 667 रकवा 34 ऐयर, खसरा नम्बर 671 रकवा 19 ऐयर, खसरा नम्बर 672 रकवा 20 ऐयर, खसरा नम्बर 680 रकवा 12 ऐयर, खसरा नम्बर 706 रकवा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 744 रकवा 13 ऐयर, खसरा नम्बर 804 रकवा 8 ऐयर, खसरा नम्बर 805 रकवा 8 ऐयर, खसरा नम्बर 835 रकवा 6 ऐयर, खसरा नम्बर 870 रकवा 17 ऐयर, खसरा नम्बर 884 रकवा 56 ऐयर, खसरा नम्बर 885 रकवा 56 ऐयर, खसरा नम्बर 898 रकवा 45 ऐयर, खसरा नम्बर 1111 रकवा 32 ऐयर, कुल किता 22 के वसीयत के आधार से व लोंग टर्म्स पजेशन के आधार से प्रतिवादी संख्या 01 के पिता कार्या उर्फ काड्या को 1/4 हिस्से का खातेदार एवं भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 02 वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 98 रकवा 32 ऐयर, खसरा नम्बर 99 रकवा 30 ऐयर में प्रतिवादिया संख्या 01 के पिता कार्या उर्फ काड्या के 1/4 हिस्स का खातेदार एवं भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 03 वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 297 रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 444 रकवा 9 ऐयर, खसरा नम्बर 469 रकवा 10 ऐयर, खसरा नम्बर 740 रकवा 5 ऐयर, खसरा नम्बर 893 रकवा 26 ऐयर में प्रतिवादिया नम्बर 01 के पिता कार्या उर्फ काड्या के 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे तथा भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 04 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 82 रकवा 0.77 ऐयर, खसरा नम्बर 94 रकवा 0.75 ऐयर, खसरा नम्बर 95/1253 रकवा 0.32 ऐयर, खसरा नम्बर 96 रकवा 29 ऐयर, खसरा नम्बर 100 रकवा 0.20 ऐयर, खसरा नम्बर 101 रकवा 11 ऐयर में प्रतिवादिया के पिता कार्या उर्फ काड्या के 1/4 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे व प्रतिवादिया के नाम विरासत में खोले गये नामांतकरण संख्या 503 दिनांक 12.07.2014 को निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादिया संख्या 01 का नाम समस्त राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज नल एण्ड वोइड होने से निरस्त किया जावे और प्रतिवादिया द्वारा दिनांक 17.09.2014 को प्रतिवादिया संख्या 02 के हक में किये गये फर्जीवाडे से विक्रय पत्र तथा प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा तेजसिंह पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी महूखास के हक में कराये गये वयनामा तारीखी 08.06.2022 को भी बमुकाबले वादीगण नल एण्ड वोइड व प्रभावहीन बेअसर घोषित किया जावे।

वाद पत्र के मद नं015 (ब) में दर्ज किया है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बावत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 01, 02 व 04 वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में वादीगण को वसीयतनामा के आधार से प्रतिवादिया संख्या 01 के पिता कार्या उर्फ काड्या के 1/4 हिस्सा एवं भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 03 वाद पत्र में वर्णित अराजीयात के 1/2 हिस्सा व वादीगण की वसीयत के आधार से प्रतिवादिया संख्या 01 के पिता कार्या उर्फ काड्या के 1/2 हिस्से में प्रतिवादिया संख्या 01 व 02 कब्जेकाश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें तथा भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 01, 02 व 04 की भूमियों को प्रतिवादिया संख्या 01 रहनवय नहीं करे ओर प्रतिवादिया संख्या 02 भूमि मुतजिक्रा मद नम्बर 03 में वर्णित आराजीयात को बेनामी विक्रय पत्र के आधार से नामांतकरण नहीं खुलवाये। इसके लिये प्रतिवादिया नम्बर 02 को व प्रतिवादिया नम्बर 01 को रहनवय नहीं करने के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 22.07.2015 को प्रतिवादी सं0 1, 3 ता 15 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 21.12.2015 को प्रतिवादी सं02 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 23.12.2015 को प्रतिवादी सं01 व 2 की ओर से श्री पुष्पेन्द्र जैन एडवोकेट ने बकालतनामा मय दरख्वास्त ऑर्डर 09 रूल 7 सीपीसी पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 3,4,5,9,11,12,13 की ओर से श्री श्यामलाल शर्मा एवं श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने बकालतनामा मय दरख्वास्त ऑर्डर 09 रूल 7 सीपीसी पेश किया । उक्त दोनो दरख्वास्त ऑर्डर 09 रूल 7 सीपीसी दिनांक 03.10.2016 को स्वीकार करते हुए जबावदावा पेश करने के आदेश जारी किये गये। लगभग 05 वर्ष का समय निकलने के पश्चात भी उक्त प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबावदावा पेश नहीं होने पर दिनांक 12.12.2021 को प्रतिवादीगण का जबाव बन्द करने के आदेश दिये गये। दिनांक 11.08.2021 को प्रतिवादी सं01 व 2 व उनके अधिवक्ता को बार– बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुए इसलिए प्रतिवादी सं01 व 2 के विरूद्ध पुनः एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। उक्त प्रकरण में दिनांक 25.07.2022 को प्रार्थना पत्र ऑर्डर 06 रूल 17 एवं ऑर्डर 01 रूल 10 सीपीसी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र ऑर्डर 09 रूल 7 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। दिनांक 20.12.2022 को प्रार्थना पत्र ऑर्डर 06 रूल 17 एवं ऑर्डर 01 रूल 10 सीपीसी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र ऑर्डर 09 रूल 7 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं ऑर्डर 22 रूल 4 सीपीसी पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र ऑर्डर 09 रूल 7 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। दिनांक 20.12.2022 को प्रार्थना पत्र ऑर्डर 06 रूल 17 एवं ऑर्डर 01 रूल 10 सीपीसी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र ऑर्डर 09 रूल 7 सपठित धारा 151 सीपीसी एवं ऑर्डर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

22 रूल 4 सीपीसी पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र ऑर्डर 06 रूल 17 एवं ऑर्डर 01 रूल 10 सीपीसी एवं ऑर्डर 22 रूल 4 सीपीसी को स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 09 रूल 7 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया गया। जिसके आधार पर प्रकरण में संशोधित वाद पत्र पेश हुआ।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादी सं0 16 की ओर से दिनांक 01.07.2024 को जबावदावा पेश जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि मद नं. 1 वाद पत्र गलत है और अस्वीकार है। इस मद में वर्णित आराजीयात से वादी का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार से नहीं है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि मद नं. 2 वाद पत्र गलत है और अस्वीकार है।इस मद में वर्णित आराजीयात से वादी का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार से नहीं है।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि मद नं. 3 वाद पत्र गलत है और अस्वीकार है।इस मद में वर्णित आराजीयात से वादी का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार से नहीं है।

जबावदावा के मद नं04 में दर्ज किया है कि मद नं. 4 वाद पत्र गलत है और अस्वीकार है।इस मद में वर्णित आराजीयात से वादी का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार से नहीं है।

जबावदावा के मद नं05 में दर्ज किया है कि मद नं. 5 में वर्णित सजरा में रामभूली को कारया की पुत्री होना और कारया का पिता मल्ला होना स्वीकार है और विवादग्रस्त आराजीयात मृतक कारया को उनके पिता मृतक मल्ला से विरासत में प्राप्त हुई है इसलिए विवादग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादी सं01 रामभूली की पैत्रिक आराजीयात है।

जबावदावा के मद नं06 में दर्ज किया है कि मद नं. 6 वाद पत्र जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। इस मद में वर्णित सम्पूर्ण इबारत वादी द्वारा मनगढन्त व कपोल कल्पित दर्ज कराई है। विवादग्रस्त आराजीयात से वादीगण का कभी कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है, विवादगस्त आराजीयात प्रतिवादीया राममूली एवं प्रतिवादी श्रवणी देवी की पैतृक आराजीयात है, जिनसे वादीगण का कोई सम्बन्ध होना किन्ही भी परिस्थितियों में सम्भव नहीं है।

जबावदावा के मद नं07 में दर्ज किया है कि मद नं0 7 वादपत्र गलत है और स्वीकार नहीं है। प्रतिवादी सं01 के पिता मृतक कारया ने कभी भी वादीगण के पिता रामभरोसी के हक में कोई वसीयत तकमील तस्दीक नहीं कराई, दिनांक 26.06.1981 को वादीगण द्वारा 50–50 पैसे के दो नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रतिवादीया सं01 के मृतक पिता कारया की ओर से फर्जी बनावटी व कूटरचित वसीयत तैयार करवाई है, जिसमें लेशमात्र भी सत्यता नहीं है, प्रतिवादीया सं01 व 2 को मृतक कारया से विरासत में प्राप्त हुई समस्त चल व अचल

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सम्पत्ति पर प्रतिवादीया सं01 व 2 बतौर स्वामी काबिज एवं दखील है। उक्त आराजीयात को मौके पर मृतक कारया के जीवनकाल से आज दिनांक तक बतौर स्वामी काश्त करती चली आ रही हैं, इसलिए वादीगण कब्जे के अभाव में कोई दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस मद में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात से वादीगण का कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है और ना ही आज है।

जबावदावा के मद नं08 में दर्ज किया है कि मद नं0 8 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। मद नं0 3 में वर्णित आराजीयात का विक्रय पत्र दिनांक 17.09.2014 को एकदम सही व विधि अनुसार तकमील तस्दीक कराया गया है, जिससे वादीगण को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए।

जबावदावा के मद नं09 में दर्ज किया है कि मद नं. 9 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। विक्रय पत्र तारीखी 17.09.2014 की वादीगण को भली प्रकार जानकारी है।

जबावदावा के मद नं010 में दर्ज किया है कि मद नं010 गलत है अस्वीकार है।

जबावदावा के मद नं011 में दर्ज किया है कि मद नं011 गलत है अस्वीकार है।

जबावदावा के मद नं012 में दर्ज किया है कि मद नं0 12 गलत है अस्वीकार है। आराजीयात विवादग्रस्त से वादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार नहीं रहा है।

जबावदावा के मद नं012 (अ) में दर्ज किया है कि मद नं0 12 (अ) जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है प्रतिवादी सं01 द्वारा कराये गये समस्त विक्रय पत्र विधि अनुसार एकदम सही है जिन पर उज्र करने का वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

जबावदावा के मद नं012 (ब) में दर्ज किया है कि मद नं0 12 (ब) गलत है, अस्वीकार है, दिनांक 08.06.2022 को प्रतिवादी सं02 द्वारा प्रतिवादी सं016 के हक में कराया गया विक्रय पत्र सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया के अनुशरण करते हुए तकमील तस्दीक कराया गया है, उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी प्रतिवादी सं016 के नाम उक्त आराजीयात में नामान्तकरण भी तकमील तस्दीक फरमाया जा चुका है, और साथ ही उक्त आराजी पर प्रतिवादी सं0 16 बतौर खातेदार काबिज काश्त है।

जबावदावा के मद नं013 में दर्ज किया है कि मद नं0 13 गलत है अस्वीकार है। प्रकरण में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को केन्सिल कराने का वैधानिक अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं, इसलिए वाद वादी खारिज फरमाये जाने योग्य है।

जबावदावा के मद नं014 में दर्ज किया है कि मद नं014 गलत है अस्वीकार है।

जबावदावा के मद नं015 अ,ब,स,द में दर्ज किया है कि मद नं0 15 अ,ब,स,द, गलत है अस्वीकार है। इन मदों में चाही कोई दादरसी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। वादीगण द्वारा उक्त वाद फर्जी व बनावटी वसीयत तारीखी 2606.1981 के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रस्तुत किया है जबकि पैतृक आराजीयात की वैधानिक तौर पर वसीयत कराया जाना किन्ही भी परिस्थितियों में वैधानिक नहीं है, इसलिए वाद वादी मय खर्चा खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अतः जबावदावा पेश कर निवेदन किया है कि वाद वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वाद पत्र एवं जबावदावा के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1. आया प्रतिवादी सं01 के पिता कारया ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वादीगण के पिता रामभरोसी के हक में दिनांक 26.06.1981 को वसीयत की गई है। – जिम्मे वादीगण
2. आया वादीगण मुतजिका मद नं01 वाद पत्र में वर्णित आराजी कुल किता 22 वाके ग्राम महूखास में वसीयत के आधार पर व लोंग टर्मस पजेशन के आधार पर प्रतिवादी सं01 के पिता कारया उर्फ काडया के 1/4 हिस्से का व मुतजिका मद नं02 वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 98, 99 वाके ग्राम महूखास में कारया के 1/4 हिस्सा, तथा मुतजिका मद नं03 वाद पत्र में वर्णित आराजी में कारया के 1/2 हिस्से व मुजिका मद नं0 4 वाद पत्र में वर्णित आराजी में कारया के 1/4 हिस्से का वादीगण अपने हक में खातेदारी कराने के कानूनी अधिकारी हैं। – जिम्मे वादीगण
3. आया वादीगण, विरासत के आधार पर खोले गये नामान्तकरण सं0 503 तारीखी 12.7.2014 को निरस्त कराने व उसके आधार पर कायम किये गये राजस्व इन्द्राजात को नल एण्ड बोईड घोषित कराने के अधिकारी हैं।
4. आया वादीगण मुताविक वाद पत्र मद नं0 12 (अ) प्रतिवादी सं02 द्वारा खसरा नम्बर 740 रकबा 0.05 है0 सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 469 रकबा 0.10 है0 में हिस्सा 1/10 का बयनामा प्रतिवादीसं0 16 तेजसिंह के हक में दिनांक 08.06.2022 को पंजीबद्ध कराये गये विक्रय पत्र बिना कब्जे व बिना प्रतिफल व स्थगन आदेश से पाबन्द होने के बावजूद दोराने दावा होने से धारा 52 ट्रांसफर प्रोपर्टी एक्ट से हिट होने से नल एण्ड बोईड व प्रभावहीन शून्य घोषित किये जाने व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में किये गये समस्त परिवर्तन भी बमुकाबले वादीगण शून्य एवं प्रभावहीन घोषित कराने के अधिकारी हैं।– जिम्मे वादीगण
5. आया वादीगण भूमि मुतजिका मद नं01,2,4 वाद पत्र में मुताविक वसीयतनामा कारया के 1/4 हिस्सा व मुतजिका मद नं03 वाद पत्र में उसके 1/2 हिस्से के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

6. आया वसीयत तारीखी 26.06.1981 फर्जी व बनावटी है, पैतृक सम्पत्ति की कानूनन वसीयत नहीं की जा सकती। वादीगण का वाद खारिज योग्य है। – जिम्मे प्रतिवादी नं0 16

7. आया प्रकरण में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को केन्सिल करने का वैधानिक अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। वादीगण का वाद खारिज योग्य है। – जिम्मे प्रतिवादी नं0 16

8. दादरसी

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 प्रदर्श–4, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 7, नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 प्रदर्श 8, नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 प्रदर्श 9, नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 प्रदर्श 10, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.09.2014 उनवानी रामभूली पुत्री काडया जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन हाल निवासी लालपुर तहसील नंदबई जिला भरतपुर बहक श्रीमती श्रवणी देवी बेबा कजोडमल जाति जाट निवासी मोडी तहसील आमेर जिला जयपुर प्रदर्श–11, असल निष्ठा पत्र दिनांक 26.06.1981 उनवानी काडया पुत्र मल्ला जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन बहक रामभरोसी पुत्र चिम्मन जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन प्रदर्श–12, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2022 उनवानी श्रीमती श्रवणी देवी बेबा कजोडमल जाति जाट निवासी मोडी तहसील आमेर जिला जयपुर बहक तेजसिंह पुत्र श्री बाबूलाल जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन, फोटो प्रति नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 06/2015 उनवानी बहादुरसिंह वगैराह बनाम श्रीमती रामभूली उर्फ रम्भूली वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निर्णय दिनांक05.10.2015 पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी बहादुर पुत्र रामभरोसी जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन, वीरसिंह पुत्र हरवान जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन, करतारसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन ने शपथ पत्र पेश कर बयान कराये हैं। केदारलाल जिन्दल पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद जाति महाजन निवासी हिण्डौन जिला करौली (डीडराईटर) ने शपथ पत्र पेश किया है।

इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण ने कोई भी दस्ताावेजी सबूत पेश नहीं किया है। जुबानी सहादत में प्रतिवादी सं0 16 तेजसिंह पुत्र बाबूलाल जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन का शपथ पत्र पेश किया है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण ने जबावदावा में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसके आधार पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :–

निर्णय तनकी नं01 :– आया प्रतिवादी सं01 के पिता कारया ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वादीगण के पिता रामभरोसी के हक में दिनांक 26.06.1981 को वसीयत की गई है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे है। जिसको साबित करने के लिए वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत असल निष्ठा पत्र दिनांक 26.06.1981 उनवानी काडया पुत्र मल्ला जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन – निष्ठाकर्ता प्रथमपक्ष बहक रामभरोसी पुत्र चिम्मन जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन – उत्तरदानग्रहिता द्वितीय पक्ष प्रदर्श– 12 में अंकित किया है कि दिनांक 26.06.1981 को यह निष्ठा– पत्र (वसीयतनामा) मुझ निष्ठाकर्ता प्रथमपक्ष द्वारा उत्तरदानग्रहिता द्वितीय पक्ष के हक में तहरीर व तकमील कराया गया। जो कि मुझ निष्ठाकर्ता प्रथमपक्ष की आयु लगभग 70 वर्ष हो चुकी है, अब मेरा बुढापा है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कब कालग्रस्त हो जावे, यह संसार असार व स्वप्नवत है मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान है क्षणिक है उक्त उत्तरदानग्रहिता द्वितीय पक्ष मेरे परिवार में मेरे भतीजे हैं और मेरे साथ रहकर मेरी सेवा कर रहे हैं और मुझे खानपान दे रहे हैं मेरे वास्तविक हकदार भी यही हैं। मैं इनसे प्रसन्न हूँ और अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति को इनके हक में निष्ठा करता हूँ यानि वसीयत करता हूँ इस हेतु यह निष्ठा–पत्र उक्त उत्तरदानग्रहिता द्वितीयपक्ष के हक में लिखकर प्रतिज्ञा करता हूँ तथा लिख देता हूँ। मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी समस्त चल व अचल सम्पत्ति काश्तकारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 1/9, 2/9, 37/1, 40/1, 40/2, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45/1, 45/2, 46/1, 47/1, 54, 138/8, 194, 211, 274, 275, 309/2, 369, 389, 552, 558, 560, 561, 565, 566, 574, 575/1, 576, 600, 602, 628/1, 628/2, 631, 659, 675/1, 675/2, 699/2, 736, 759, 755, 763, 791, 880, 890 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन में निहित अपनी सम्पूर्ण खातेदारी व अपनी सम्पूर्ण हिस्सा की आराजी, नकदी, जेवर, सोना, चांदी इत्यादि सभी उत्तरदानग्रहिता द्वितीय पक्ष को प्राप्त होगी। मेरे मरणोपरान्त मेरी सम्पूर्ण खातेदारी व मेरे सम्पूर्ण हिस्सा की आराजी वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की बाबत् सम्पूर्ण अधिकार, स्वामित्व व स्वत्व उपयोग,उपभोग परिवर्तन, परिवर्धन, अन्तरण, हस्तातंरण, हक काश्त , हक खातेदारी, हक अदायगी लगान आदि के मुझ प्रथमपक्ष के स्थान पर उत्तरदानग्रहिता द्वितीयपक्ष को प्राप्त होंगे। मेरी सम्पूर्ण चल व अचलसम्पत्ति में मेरा अन्य कोई बाली, वारिसबनकर उजर करेगा तो वह राज पंच में कायदा कानून में व रौब हाकिम अदालत झूंठा माना जावेगा। यह मेरा अन्तिम निष्ठा– पत्र (वसीयतनामा) है। मैंने पूर्व में किसी के हक में कोई निष्ठा–पत्र नहीं लिखा है। यह निष्ठा–पत्र मेरे मरने के पश्चात ही प्रभावी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

होगा, जिसको चुनौती करने का किसी को कोई अधिकार नहीं होगा। अतः यह निष्ठा–पत्र मुझ निष्ठाकर्ता प्रथमपक्ष ने अपनी राजी खुशी होश हबाश दुरूस्ती से उत्तरदानग्रहिता द्वितीय पक्ष के हक में तहरीर व तकमील करा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। उक्त निष्ठा–पत्र (वसीयतनामा) पर कारया की निशानी शिब्त है तथा गवाह में हरपाल व किशनलाल के हस्ताक्षर हैं तथा केदारलाल जिन्दल डीडराईटर लाईसेन्स नं01 की मोहर पर केदारलाल के हस्ताक्षर एवं दिनांक 26.06.1981 अंकित है।

उक्त निष्ठा– पत्र (वसीयतनामा) के के बाबतं जुवानी सहादत में वादीगण की ओर से प्रस्तुत केदारलाल जिन्दल पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद जाति महाजन निवासीहिण्डौन जिला करौली (डीडराईटर) ने शपथ पत्र पेश कर शपथ पत्र में अंकित किया है कि मैं हिण्डौन राजस्व न्यायालय में डीडराईटर हूँ। मेरा लाईसेन्स नम्बर एक है। मैंने दिनांक 26.06.1981 को एक निष्ठापत्र (वसीयतनामा) निष्ठाकर्ता काडया पुत्र मल्ला उम्र 70 साल जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन की चल व अचल सम्पत्तियों का भरोसी पुत्र चिम्मन उम्र 47 साल जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन के हक में टाईपिस्ट से मेरे निर्देशन में टाइप कराया था। मेरे द्वारा टाइप कराये गये वसीयतनामा पर निष्ठाकर्ता ने मेरे सामने अंगूठा निशानी शिप्त की थी तथा गवाही गवाहान हरवान व किशनलाल दोनो जाति जाट निवासी महूखास ने अपने हस्ताक्षर किये थे। मेरे द्वारा टाइप कराई गई वसीयत रिकार्ड देखकर व मौखिक रूप से निष्ठाकर्ता द्वारा बताई चल व अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में लिखकर मेरे हस्ताक्षर करके मोहर लगा दी थी, जो वसीयत सर्वदा सत्य व सही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं01 के पिता कारया ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वादीगण के पिता रामभरोसी के हक में दिनांक 26.06.1981 को वसीयत की गई है। वह अनरजिस्टर्ड एवं पैत्रिक आराजी की है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं02 :– आया वादीगण मुतजिका मद नं01 वाद पत्र में वर्णित आराजी कुल किता 22 वाके ग्राम महूखास में वसीयत के आधार पर व लोंग टर्मस पजेशन के आधार पर प्रतिवादी सं01 के पिता कारया उर्फ काडया के 1/4 हिस्से का व मुतजिका मद नं02 वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 98, 99 वाके ग्राम महूखास में कारया के 1/4 हिस्सा, तथा मुतजिका मद नं03 वाद पत्र में वर्णित आराजी में कारया के 1/2 हिस्से व मुजिका मद नं0 4 वाद पत्र में वर्णित आराजी में कारया के 1/4 हिस्से का वादीगण अपने हक में खातेदारी कराने के कानूनी अधिकारी हैं। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे है। तनकी नं01 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 प्रदर्श–1 के अनुसार विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 90 रकबा 0.28 है0, 93 रकबा 0.60 है0, 95 रकबा 0.32 है0, 122 रकबा 0.07

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है0, 369 रकबा 0.10 है0, 408 रकबा 0.12 है0, 664 रकबा 0.11 है0, 666 रकबा 0.09 है0, 667 रकबा 0.34 है0, 671 रकबा 0.19 है0, 672 रकबा 0.20 है0, 680 रकबा 0.12 है0, 706 रकबा 0.10 है0, 744 रकबा 0.13 है0, 804 रकबा 0.08 है0, 805 रकबा 0.08 है0, 835 रकबा 0.06 है0, 870 रकबा 0.17 है0, 884 रकबा 0.56 है0, 885 रकबा 0.56 है0, 898 रकबा 0.45 है0, 1111 रकबा 0.32 है0 कुल किता 22 कुल रकबा 5.05 है0 स्थित ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामभूली पुत्री काडया हि0 1/4, पूरनसिंह सतवीरसिंह जोगेन्द्रसिंह पि0 दीवानसिंह सोमोती वेवा दीवानसिंह जोगेन्द्रसिंह नाबा0 संरक्षक मॉ सोमोती बेबा दीवानसिंह हि0 1/16, बच्चूसिंह रेवती पि0 गूंगा हि0 1/8, सफेदी बेबा गूंगा हि0 1/16, नवाव विशम्भर नीरसिंह पि0 बेंगला हि0 1/4, बहादुरसिंह बदनसिंह परसराम पि0 रामभरोसी रामकली पुत्री रामभरोसी रामादेवी बेबा रामभरोसी हि0ब0 हि0 1/4 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 प्रदर्श–2 के अनुसार विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 91 रकबा 0.14 है0, 92/1277 रकबा 0.08 है0, 97 रकबा 0.13 है0, 98 रकबा 0.32 है0, 99 रकबा 0.30 है0, 102 रकबा 0.03 है0, 103 रकबा 0.17 है0, 104 रकबा 0.25 है0, 739 रकबा 0.06 है0, 820 रकबा 0.14 है0, 834 रकबा 0.06 है0, 1058 रकबा 0.19 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 1.87 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामभूली पुत्री काडया हि0 1/3, बेगला पुत्र मल्ला हि0 1/3, पूरनसिंह सतवीरसिंह जोगेन्द्रसिंह पि0 दीवानसिंह सोमोती वेवा दीवानसिंह जोगेन्द्रसिंह नाबा0 संरक्षक मॉ सोमोती बेबा दीवानसिंह हि0 1/12, बच्चूसिंह रेवती पि0 गूंगा हि0 1/6, सफेदी बेबा गूंगा हि0 1/12 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 प्रदर्श–3 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 297 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 444 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 469 रकवा 0.10 है0, खसरा नम्बर 740 रकवा 0.05 है0, खसरा नम्बर 893 रकवा 0.26 है0, कुल किता 5 कुल रकवा 0.59 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामभूली पुत्री काडया जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 प्रदर्श–4 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 92 रकवा 0.77 है0, खसरा नम्बर 94 रकवा 0.75 है0, खसरा नम्बर 95/1253 रकवा 0.32 है0, खसरा नम्बर 96 रकवा 29 है0, खसरा नम्बर 100 रकवा 0.20 है0, खसरा नम्बर 101 रकवा 0.11 है0 कुल किता 6 कुल रकवा 2.44 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी गूंगा बेगन्ना पि0 मल्ला हि0 1/2, रामभूली पुत्री काडया हि0 1/4, रामभरोसी पुत्र चिम्मन हि01/4 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5,6,7 के अनुसार दौराने सेटिलमेन्ट साबिक खसरा नम्बरान से नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं :–

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नं0	रकबा हैक्टेयर में
वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज भूमि			
39 मिन	3 बीघा 7 बिस्वा	90	0.28
39 मिन	—	93	0.60
41	1 बीघा 6 बिस्वा	95	0.32
54 मिन 275	7 बिस्वा	122	0.07
275	7 बिस्वा	369	0.10
309/2	10 बिस्वा	408	0.12
558 574	6 बिस्वा 6 बिस्वा	664	0.11
560	9 बिस्वा	666	0.09
561	1 बीघा 7 बिस्वा	667	0.34
564	12 बिस्वा	671	0.19
565 566 600	7 बिस्वा 7 बिस्वा —	672	0.20
576	11 बिस्वा	680	0.12
602	8 बिस्वा	706	0.10
631	12 बिस्वा	744	0.13
659 मिन	14 बिस्वा	804	0.08
659 मिन	14 बिस्वा	805	0.08
675/1	4 बिस्वा	835	0.06
736	12 बिस्वा	870	0.17
749 मिन	4 बीघा 3 बिस्वा	884	0.56
749 मिन	—	885	0.56
763	1 बीघा 15 बिस्वा	898	0.45
890	1 बीघा 7 बिस्वा	1111	0.32

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नं0	रकबा हैक्टेयर में
वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज भूमि			
42/1 मिन 40/1 मिन	— 1 बीघा 9 बिस्वा	98	0.32
40/1 मिन	—	99	0.30
वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज भूमि			
211	8 बिस्वा	297	0.09
369	7 बिस्वा	444	0.09
389	12 बिस्वा	469	0.10
628/2	4 बिस्वा	740	0.05
755	17 बिस्वा	893	0.26
वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज भूमि			
37/2 मिन	4 बीघा 1 बिस्वा	92	0.77

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

40/2 मिन	3 बीघा	94	0.75
46/1 मिन 37/2 मिन	— —	95/1253	0.32
42/1 मिन	2 बीघा 11 बिस्वा	96	0.29
45/1 मिन	1 बीघा 15 बिस्वा	100	0.20
45/1 मिन	—	101	0.11

नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 प्रदर्श 8 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 39 रकवा 3 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 41 रकवा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 54 रकवा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 275 रकवा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 309/2 रकवा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 558 रकवा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 560 रकवा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 561 रकवा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 568 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 566, 600 रकवा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 574 रकवा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 576 रकवा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 565 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 602 रकवा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 659 रकवा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 675/1 रकवा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 736 रकवा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 749 मिन रकवा 4 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 763 रकवा 1 बीघा 15 बिस्वा, 780 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 631 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 20 कुल रकबा 20 बीघा वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी काडया गूंगा बेगन्ना पि0 मल्ला हि0 3/4, रामभरोसी पुत्र चिम्मन हि0 1/4 जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 प्रदर्श 9 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 40/2 रकबा 2 बीघा, 42/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, 45/1/1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 37/2 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी गूंगा बेगन्ना काडया पि0 मल्ला व रामभरोसी पुत्र चिम्मन जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2038–41 प्रदर्श 10 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 211 रकवा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 369 रकवा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 389 रकवा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 628/2 रकवा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 755 रकवा 17 बिस्वा वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन की खातेदारी काडया पुत्र मल्ला जाति जाट निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात के बाबत् प्रतिवादी सं01 के पिता कारया उर्फ काडया के द्वारा वादीगण के पिता रामभरोसी के हक में जो निष्ठा पत्र (वसीयतनामा) दिनांक 26.06.1981 को तहरीर व तकमील कराया गया है वह अनरजिस्टर्ड है। वादीगण के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि वसीयतनामा में दर्ज आराजीयात वसीयकर्ता कारया की स्वअर्जित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सम्पत्ति हो। यदि विवादित आराजीयात प्रतिवादी सं01 के पिता कारया उर्फ काडया की स्वअर्जित सम्पत्ति होती तो उसी समय दिनांक 26.06.1981 को ही उक्त वसीयतनामा उप पंजीय हिण्डौन के यहॉ रजिस्टर्ड करा दी गई होती। क्योंकि वसीयत स्वअर्जित सम्पत्ति होने पर ही की जा सकती है। विरासत की सम्पत्ति की वसीयत नहीं हो सकती है, इस तथ्य को वादीगण के पिता रामभरोसी एवं वसीयतकर्ता काडया उर्फ कारया एवं वसीयत लेखक केदार जिन्दल डीडराईटर बखूबी जानते थे। वसीयतकर्ता लाऔलाद फौत नहीं हुआ बल्कि वसीयतकर्ता की एक पुत्री प्रतिवादी सं01 रामभूली उर्फ रम्भूली थी। ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त निष्ठापत्र (वसीयतनामा) दिनांक 26.06.1981 के आधार पर काडया उर्फ कारया की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी साबित नहीं होते हैं। इसलिए वसीयतकर्ता काडया उर्फ कारया की समस्त चल व अचल सम्पत्ति की एक मात्र अधिकारी प्रतिवादी सं01 रामभूली उर्फ रम्भूली पुत्री काडया उर्फ कारया है, जो कि उसकी पुत्री है तथा उसकी कानूनी वारिस एवं उत्तराधिकारी है। वादीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वसीयतकर्ता कारया उर्फ काडया के हिस्से की आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश्त हो। इस प्रकार वादीगण का उक्त विवादित आराजीयात पर लोंग टर्मस पजेशन भी साबित नहीं होता है। इस प्रकार वादीगण मुतजिका मद नं01 वाद पत्र में वर्णित आराजी कुल किता 22 वाके ग्राम महूखास में वसीयत के आधार पर व लोंग टर्मस पजेशन के आधार पर प्रतिवादी सं01 के पिता कारया उर्फ काडया के 1/4 हिस्से का व मुतजिका मद नं02 वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 98, 99 वाके ग्राम महूखास में कारया के 1/4 हिस्सा, तथा मुतजिका मद नं03 वाद पत्र में वर्णित आराजी में कारया के 1/2 हिस्से व मुजिका मद नं0 4 वाद पत्र में वर्णित आराजी में कारया के 1/4 हिस्से का वादीगण अपने हक में खातेदारी कराने के कानूनी अधिकारी साबित नहीं होते हैं। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 3 :– आया वादीगण, विरासत के आधार पर खोले गये नामान्तकरण सं0 503 तारीखी 12.7.2014 को निरस्त कराने व उसके आधार पर कायम किये गये राजस्व इन्द्राजात को नल एण्ड बोईड घोषित कराने के अधिकारी हैं। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे हैं। इस तनकी को साबित करने के लिए वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.09.2014 उनवानी रामभूली पुत्री काडया जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन हाल निवासी लालपुर तहसील नंदबई जिला भरतपुर– विक्रेती बहक श्रीमती श्रवणी देवी बेबा कजोडमल जाति जाट निवासी मोडी तहसील आमेर जिला जयपुर– क्रेती प्रदर्श–11 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 297 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 444 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 469 रकवा 0.10 है0, खसरा नम्बर 740 रकवा 0.05 है0, खसरा नम्बर 893 रकवा 0.26 है0, कुल किता 5 कुल रकवा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

0.59 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन का विक्रय किया गया है। तनकी नं01 व 2 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित आराजीयात के बाबत् प्रतिवादी सं01 के पिता कारया उर्फ काडया के द्वारा वादीगण के पिता रामभरोसी के हक में जो निष्ठा पत्र (वसीयतनामा) दिनांक 26.06.1981 को तहरीर व तकमील कराया गया है वह अनरजिस्टर्ड है। वादीगण के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि वसीयतनामा में दर्ज आराजीयात वसीयकर्ता कारया की स्वअर्जित सम्पत्ति हो। यदि विवादित आराजीयात प्रतिवादी सं01 के पिता कारया उर्फ काडया की स्वअर्जित सम्पत्ति होती तो उसी समय दिनांक 26.06.1981 को ही उक्त वसीयतनामा उप पंजीय हिण्डौन के यहॉ रजिस्टर्ड करा दी गई होती। क्योंकि वसीयत स्वअर्जित सम्पत्ति होने पर ही की जा सकती है। विरासत की सम्पत्ति की वसीयत नहीं हो सकती है, इस तथ्य को वादीगण के पिता रामभरोसी एवं वसीयतकर्ता काडया उर्फ कारया एवं वसीयत लेखक केदार जिन्दल डीडराईटर बखूबी जानते थे। वसीयतकर्ता लाऔलाद फौत नहीं हुआ बल्कि वसीयतकर्ता की एक पुत्री प्रतिवादी सं01 रामभूली उर्फ रम्भूली थी। ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त निष्ठापत्र (वसीयतनामा) दिनांक 26.06.1981 के आधार पर काडया उर्फ कारया की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी साबित नहीं होते हैं। इसलिए वसीयतकर्ता काडया उर्फ कारया की समस्त चल व अचल सम्पत्ति की एक मात्र अधिकारी प्रतिवादी सं01 रामभूली उर्फ रम्भूली पुत्री काडया उर्फ कारया है, जो कि उसकी पुत्री। इस प्रकार वादीगण मुतजिका मद नं01 वाद पत्र में वर्णित आराजी कुल किता 22 वाके ग्राम महूखास में वसीयत के आधार पर व लोंग टर्मस पजेशन के आधार पर प्रतिवादी सं01 के पिता कारया उर्फ काडया के 1/4 हिस्से का व मुतजिका मद नं02 वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 98, 99 वाके ग्राम महूखास में कारया के 1/4 हिस्सा, तथा मुतजिका मद नं03 वाद पत्र में वर्णित आराजी में कारया के 1/2 हिस्से व मुजिका मद नं0 4 वाद पत्र में वर्णित आराजी में कारया के 1/4 हिस्से का वादीगण अपने हक में खातेदारी कराने के कानूनी अधिकारी साबित नहीं होते हैं। जब वादीगण उक्त विवादित आराजीयात में निष्ठा पत्र (वसीयतनामा) के आधार पर काडया उर्फ कारया के हिस्से की आराजीयात की खातेदारी अपने नाम कराने के अधिकारी ही साबित नहीं होते हैं तो वादीगण, मृतक काडया उर्फ कारया की विरासत के आधार पर खोले गये नामान्तकरण सं0 503 तारीखी 12.7.2014 को निरस्त कराने व उसके आधार पर कायम किये गये राजस्व इन्द्राजात को नल एण्ड बोईड घोषित कराने के भी अधिकारी साबित नहीं होते हैं। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 4 :— आया वादीगण मुताविक वाद पत्र मद नं0 12 (अ) प्रतिवादी सं02 द्वारा खसरा नम्बर 740 रकबा 0.05 है0 सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 469 रकबा 0.10 है0 में हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

1/10 का बयनामा प्रतिवादीसं0 16 तेजसिंह के हक में दिनांक 08.06.2022 को पंजीबद्ध कराये गये विक्रय पत्र बिना कब्जे व बिना प्रतिफल व स्थगन आदेश से पाबन्द होने के बावजूद दोराने दावा होने से धारा 52 ट्रांसफर प्रोपर्टी एक्ट से हिट होने से नल एण्ड बोईड व प्रभावहीन शून्य घोषित किये जाने व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में किये गये समस्त परिवर्तन भी बमुकाबले वादीगण शून्य एवं प्रभावहीन घोषित कराने के अधिकारी हैं। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे है। तनकी नं01 ता 3 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन मुकदमा नं0 06/2015 उनवानी बहादुरसिंह वगैराह बनाम श्रीमती रामभूली उर्फ रम्भूली वगैराह व तहसीलदार प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2015 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 0.28 है0, 93 रकबा 0.60 है0, 95 रकबा 0.32 है0, 122 रकबा 0.07 है0, 369 रकबा 0.10 है0, 408 रकबा 0.12 है0, 664 रकबा 0.11 है0, 666 रकबा 0.09 है0, 667 रकबा 0.34 है0, 671 रकबा 0.19 है0, 672 रकबा 0.20 है0, 680 रकबा 0.12 है0, 706 रकबा 0.10 है0, 744 रकबा 0.13 है0, 804 रकबा 0.08 है0, 805 रकबा 0.08 है0, 835 रकबा 0.06 है0, 870 रकबा 0.17 है0, 884 रकबा 0.56 है0, 885 रकबा 0.56 है0, 898 रकबा 0.45 है0, 1111 रकबा 0.32 है0 कुल किता 22 कुल रकबा 5.05 है0 स्थित ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन, खसरा नम्बर 98 रकबा 0.32 है0, 99 रकबा 0.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.62 है0,वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन, खसरा नम्बर 297 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 444 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 469 रकवा 0.10 है0, खसरा नम्बर 740 रकवा 0.05 है0, खसरा नम्बर 893 रकवा 0.26 है0, कुल किता 5 कुल रकवा 0.59 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन, खसरा नम्बर 92 रकवा 0.77 है0, खसरा नम्बर 94 रकवा 0.75 है0, खसरा नम्बर 95/1253 रकवा 0.32 है0, खसरा नम्बर 96 रकवा 29 है0, खसरा नम्बर 100 रकवा 0.20 है0, खसरा नम्बर 101 रकवा 0.11 है0 कुल किता 6 कुल रकवा 2.44 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन के रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने व रहन वयय नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा गैरसायलान श्रीमती रामभूली उर्फ रम्भूली पुत्री काडया उर्फ कारया बेबा किशनसिंह जाति जाट निवासी लालपुर तहसील नंदबई जिला भरतपुर एवं श्रीमती श्रवणी बेबा कजोडमल जाति जाट निवासी मोडी तहसील आमेर जिला जयपुर एवं तहसीलदार हिण्डौन को पाबन्द किया हुआ है।

नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.06.2022 उनवानी श्रीमती श्रवणी देवी बेबा कजोडमल जाति जाट निवासी मोडी तहसील आमेर जिला जयपुर– विकेती प्रथमपक्ष बहक तेजसिंह पुत्र श्री बाबूलाल जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन– केता द्वितीयपक्ष के अनुसार विादित आराजी खसरा नम्बर 740 रकबा 0.05 है0 ग्राम महूखास सम्पूर्ण को तथा खसरानम्बर 469 रकबा 0.10 है0 ग्राम महूखास में से हि0 1/10 भाग की भूमि का बेचान किया गया है। उक्त स्थगन आदेश के बावजूद भी श्रीमती श्रवणी बेबा कजोडमल जाति जाट

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निवासी मोडी तहसील आमेर जिला जयपुर के द्वारा दिनांक 08.06.2022 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 740 रकबा 0.05 है0 ग्राम महूखास सम्पूर्ण को तथा खसरा नम्बर 469 रकबा 0.10 है0 ग्राम महूखास में से हि0 1/10 भाग की भूमि का बेचान तेजसिंह पुत्र श्री बाबूलाल जाति जाट निवासी महूखास तहसील हिण्डौन के हक में गलत व अवैधानिक रूप से न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए विकय पत्र रजिस्टर्ड करवाया है। जो कानूनन अवैध है। जिसको निरस्त/ कैन्सिल करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर माननीय सिविल न्यायालय को हैं। वादीगण के द्वारा ऐसा कोई भी ऐसा दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि प्रतिवादी सं02 द्वारा खसरा नम्बर 740 रकबा 0.05 है0 सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 469 रकबा 0.10 है0 में हिस्सा 1/10 का बयनामा प्रतिवादीसं0 16 तेजसिंह के हक में दिनांक 08.06.2022 को पंजीबद्ध कराये गये विकय पत्र बिना कब्जे व बिना प्रतिफल के कराया गया हो। जब वादीगण उक्त विवादित आराजीयात में वसीयकर्ता कारया उर्फ काडया के हिस्से की भूमि के बाबत् निष्ठापत्र (वसीयतनामा) दिनांक 26.06.1981 के आधार पर खातेदारी अपने नाम कराने के अधिकारी ही साबित नहीं हुए है तो ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त विवादित आराजीयात के बाबत् अन्य किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने के भी अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 5 :– आया वादीगण भूमि मुतजिका मद नं01,2,4 वाद पत्र में मुताविक वसीयतनामा कारया के 1/4 हिस्सा व मुतजिका मद नं03 वाद पत्र में उसके 1/2 हिस्से के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे है। तनकी नं01 ता 4 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है तथा यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित आराजीयात के बाबत् प्रतिवादी सं01 के पिता कारया उर्फ काडया के द्वारा वादीगण के पिता रामभरोसी के हक में जो निष्ठा पत्र (वसीयतनामा) दिनांक 26.06.1981 को तहरीर व तकमील कराया गया है वह अनरजिस्टर्ड है। वादीगण के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि वसीयतनामा में दर्ज आराजीयात वसीयकर्ता कारया की स्वअर्जित सम्पत्ति हो। यदि विवादित आराजीयात प्रतिवादी सं01 के पिता कारया उर्फ काडया की स्वअर्जित सम्पत्ति होती तो उसी समय दिनांक 26.06.1981 को ही उक्त वसीयतनामा उप पंजीय हिण्डौन के यहॉ रजिस्टर्ड करा दी गई होती। क्योंकि वसीयत स्वअर्जित सम्पत्ति होने पर ही की जा सकती है। विरासत की सम्पत्ति की वसीयत नहीं हो सकती है, इस तथ्य को वादीगण के पिता रामभरोसी एवं वसीयतकर्ता काडया उर्फ कारया एवं वसीयत लेखक केदार जिन्दल डीडराईटर बखूबी जानते थे। वसीयतकर्ता लाऔलाद फौत नहीं हुआ बल्कि वसीयतकर्ता की एक पुत्री प्रतिवादी सं01 रामभूली उर्फ रम्भूली थी। ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त निष्ठापत्र (वसीयतनामा) दिनांक 26.06.1981 के आधार पर काडया उर्फ कारया की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्राप्त करने के अधिकारी साबित नहीं होते हैं। इसलिए वसीयतकर्ता काडया उर्फ कारया की समस्त चल व अचल सम्पत्ति की एक मात्र अधिकारी प्रतिवादी सं01 रामभूली उर्फ रम्भूली पुत्री काडया उर्फ कारया है, जो कि उसकी पुत्री। इस प्रकार वादीगण मुतजिका मद नं01 वाद पत्र में वर्णित आराजी कुल किता 22 वाके ग्राम महूखास में वसीयत के आधार पर व लोंग टर्मस पजेशन के आधार पर प्रतिवादी सं01 के पिता कारया उर्फ काडया के 1/4 हिस्से का व मुतजिका मद नं02 वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 98, 99 वाके ग्राम महूखास में कारया के 1/4 हिस्सा, तथा मुतजिका मद नं03 वाद पत्र में वर्णित आराजी में कारया के 1/2 हिस्से व मुजिका मद नं0 4 वाद पत्र में वर्णित आराजी में कारया के 1/4 हिस्से का वादीगण अपने हक में खातेदारी कराने के कानूनी अधिकारी साबित नहीं हुए हैं। इसलिए वादीगण भूमि मुतजिका मद नं01,2,4 वाद पत्र में मुताविक वसीयतनामा कारया के 1/4 हिस्सा व मुतजिका मद नं03 वाद पत्र में उसके 1/2 हिस्से के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी साबित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 6 :— आया वसीयत तारीखी 26.06.1981 फर्जी व बनावटी है, पैतृक सम्पत्ति की कानूनन वसीयत नहीं की जा सकती। वादीगण का वाद खारिज योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है। प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि वसीयत तारीखी 26.06.1981 फर्जी व बनावटी है, यह तथ्य सही है कि पैतृक सम्पत्ति की कानूनन वसीयत नहीं की जा सकती है। उक्त विवादित आराजीयात यदि वसीयतकर्ता काडया उर्फ कारया की स्वअर्जित सम्पत्ति होती तो दिनांक 26.06.1981 को ही उप पंजीयक हिण्डौन के यहाँ उक्त निष्ठापत्र (वसीयतनामा) को वसीयतकर्ता के द्वारा वादीगण के पिता रामभरोसी के हक में रजिस्टर्ड व पंजीबद्ध करवा दिया गया होता। उक्त वसीयत पैत्रिक सम्पत्ति होने के कारण ही अनरजिस्टर्ड रही है। जिसके आधार पर वादीगण को वसीयतकर्ता काडया उर्फ कारया के हिस्से की उक्त विवादित आराजीयात में कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और ना ही वादीगण उक्त वसीयत के आधार पर वसीयतकर्ता काडया उर्फ कारया के हिस्से की भूमि की खातेदारी अपने हक में करा पाने के भी अधिकारी साबित नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में मृतक काडया उर्फ कारया के द्वारा अपनी पैत्रिक भूमि की वादीगण के पिता के हक में जो निष्ठा पत्र (वसीयतनामा) दिनांक 26.06.1981 करायी गई है वह कानूनन वैध नहीं है। जिसके आधार पर वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है। खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निर्णय तनकी नं0 7 :– आया प्रकरण में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को केन्सिल करने का वैधानिक अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। वादीगण का वाद खारिज योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नं0 16 के जिम्मे है। तनकी नं01 ता 6 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त/ केन्सिल करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है बल्कि सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। राजस्व न्यायालय किसी प्रकार के रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त/ केन्सिल नहीं कर सकता है और ना वादीगण उक्त विवादित आराजीयात में निष्ठा पत्र (वसीयतनामा) दिनांक 26.06.1981 के आधार पर वसीयतकर्ता कारया उर्फ काडया के हिस्से की भूमि की खातेदारी अपने नाम कराने के अधिकारी साबित हुए है। इसलिए वादीगण उक्त विवादित आराजीयात के बाबत् किसी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जहॉ तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त/ केंसिल करने की बात है तो उसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद खारिज योग्य है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

दादरसी :– उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि तनकी नं0 1 लगायत 7 का निर्णय बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण हुआ है। विवादित आराजीयात के बाबत् प्रतिवादी सं01 के पिता कारया उर्फ काडया के द्वारा वादीगण के पिता रामभरोसी के हक में जो निष्ठा पत्र (वसीयतनामा) दिनांक 26.06.1981 को तहरीर व तकमील कराया गया है वह अनरजिस्टर्ड है। वादीगण के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि वसीयतनामा में दर्ज आराजीयात वसीयकर्ता कारया की स्वअर्जित सम्पत्ति हो। यदि विवादित आराजीयात प्रतिवादी सं01 के पिता कारया उर्फ काडया की स्वअर्जित सम्पत्ति होती तो उसी समय दिनांक 26.06.1981 को ही उक्त वसीयतनामा उप पंजीय हिण्डौन के यहॉ रजिस्टर्ड करा दी गई होती। क्योंकि वसीयत स्वअर्जित सम्पत्ति होने पर ही की जा सकती है। विरासत की सम्पत्ति की वसीयत नहीं हो सकती है, इस तथ्य को वादीगण के पिता रामभरोसी एवं वसीयतकर्ता काडया उर्फ कारया एवं वसीयत लेखक केदार जिन्दल डीडराईटर बखूबी जानते थे। वसीयतकर्ता लाऔलाद फौत नहीं हुआ बल्कि वसीयतकर्ता की एक पुत्री प्रतिवादी सं01 रामभूली उर्फ रम्भूली थी। ऐसी स्थिति में वादीगण उक्त निष्ठापत्र (वसीयतनामा) दिनांक 26.06.1981 के आधार पर काडया उर्फ कारया की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी साबित नहीं होते हैं। इसलिए वसीयतकर्ता काडया उर्फ कारया की समस्त चल व अचल सम्पत्ति की एक मात्र अधिकारी प्रतिवादी सं01 रामभूली उर्फ रम्भूली पुत्री काडया उर्फ कारया है, जो कि उसकी पुत्री है तथा उसकी कानूनी वारिस एवं उत्तराधिकारी है। वादीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वसीयतकर्ता कारया उर्फ काडया के हिस्से की आराजीयात पर वादीगण का कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

काश्त हो। इस प्रकार वादीगण का उक्त विवादित आराजीयात पर लोंग टर्मस पजेशन भी साबित नहीं होता है। इस प्रकार वादीगण मुतजिका मद नं01 वाद पत्र में वर्णित आराजी कुल किता 22 वाके ग्राम महूखास में वसीयत के आधार पर व लोंग टर्मस पजेशन के आधार पर प्रतिवादी सं01 के पिता कारया उर्फ काडया के 1/4 हिस्से का व मुतजिका मद नं02 वाद पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 98, 99 वाके ग्राम महूखास में कारया के 1/4 हिस्सा, तथा मुतजिका मद नं03 वाद पत्र में वर्णित आराजी में कारया के 1/2 हिस्से व मुजिका मद नं0 4 वाद पत्र में वर्णित आराजी में कारया के 1/4 हिस्से का वादीगण अपने हक में खातेदारी कराने के कानूनी अधिकारी साबित नहीं होते हैं। इस प्रकार वादीगण अपने दावे को साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 90 रकबा 0.28 है0, 93 रकबा 0.60 है0, 95 रकबा 0.32 है0, 122 रकबा 0.07 है0, 369 रकबा 0.10 है0, 408 रकबा 0.12 है0, 664 रकबा 0.11 है0, 666 रकबा 0.09 है0, 667 रकबा 0.34 है0, 671 रकबा 0.19 है0, 672 रकबा 0.20 है0, 680 रकबा 0.12 है0, 706 रकबा 0.10 है0, 744 रकबा 0.13 है0, 804 रकबा 0.08 है0, 805 रकबा 0.08 है0, 835 रकबा 0.06 है0, 870 रकबा 0.17 है0, 884 रकबा 0.56 है0, 885 रकबा 0.56 है0, 898 रकबा 0.45 है0, 1111 रकबा 0.32 है0 कुल किता 22 कुल रकबा 5.05 है0 तथा खसरा नम्बर 98 रकबा 0.32 है0, 99 रकबा 0.30 है0, तथा खसरा नम्बर 297 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 444 रकवा 0.09 है0, खसरा नम्बर 469 रकवा 0.10 है0, खसरा नम्बर 740 रकवा 0.05 है0, खसरा नम्बर 893 रकवा 0.26 है0 तथा खसरा नम्बर 92 रकवा 0.77 है0, खसरा नम्बर 94 रकवा 0.75 है0, खसरा नम्बर 95/1253 रकवा 0.32 है0, खसरा नम्बर 96 रकवा 29 है0, खसरा नम्बर 100 रकवा 0.20 है0, खसरा नम्बर 101 रकवा 0.11 है0 कुल किता 6 कुल रकवा 2.44 है0 वाके ग्राम महूखास तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 29/8/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)